संख्या-217/2025/1220/001-23-6099(099)/176/2025

प्रेषक,

शिव कुमार,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक** 20-05-2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के कतिपय जनपदों के 08 चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र(तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 08 चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 5616.50 लाख (रूपये छप्पन करोड सोलह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता (मु0-1) के पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13571/CE-HQ1/DHARMARTH/GON/2025-26 Dt- 15-05-2025	प्रा.ख. श्रावस्ती	जनपद-श्रावस्ती में इकौना खरगूपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के चै0-0.000 से 12.000 तक मार्ग का चैडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	12/2025/2081/23-6-24/23-4099-099-150-2024,दि0-16.01.2025	4357.86 4357.86 45.70 4312.16	525.25	3786.91	2000.00	1509.26
2	13572/CE-HQ1/DHARMARTH/MBD/2025-26 Dt-15-05-2025	प्रा.ख. रामपुर	जनपद रामपुर में धर्मार्थ योजना के अन्तर्गत एन0एच0-87 के किमी0-38 से गुरूद्वारा वाया डिबडिबा चन्देन होते हुए बागवाडा उत्तराखण्ड बार्डर मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	94/2025/2252/001-23-6099-44-2024,दि-08.03.2025	1584.73 1584.73 34.04 1550.69	16.97	1533.72	792.00	792.00
3	13575/CE-HQ1/DHARMARTH/ALI/2025-26 Dt-15-05-2025	प्रा.ख. हाथरस	बिसाना से तारागढ़ माता मन्दिर तक मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	92/2025/679/001-23-6099-099-59-2025, दि0-07.03.2025	238.81 238.81 40.42 198.39	23.37	175.02	70.00	70.00
4	13569/CE-HQ1/DHARMAR	प्रा.ख. मथुरा	जनपद मथुरा में छटीकरा-राल राधाकुण्ड मार्ग का 10 मी0 में	13/2025/2107/23-6- 24/23-	2489.77 2489.77	662.96	1094.5	800.00	800.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	TH/AGR/2025-26 Dt- 15-05-2025		चैड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	4099(099)/ 32/2024,दि0-16.01.2025	732.31 1757.46				
5	13570/CE-HQ1/DHARMARTH/VNS/2025-26 Dt- 15-05-2025	प्रा.ख. चंदौली	धर्मार्थ कार्ययोजनान्तर्गत जनपद चन्दौली-प्रभुपुर - रसूलपुर-ककरहटी-रामगढ़-सड़ान-बड़गावां लम्बाई 5.00 किमी0 मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	52/2025/2184/ 23-4099-099-106-2024दि0-04.02.2025	1450.50 1450.50 10.35 1440.15	725.25	714.9	640.00	290.10
6	13570/CE-HQ1/DHARMARTH/VNS/2025-26 Dt-15-05-2025	प्रा.ख. वाराणसी	ज्ञपद वाराणसी में एन0एच0-29 से कैथी मारकण्डेय महादेव मार्ग (अ0जि0मा0) का चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (गोमती ब्रिज डाईवर्जन मार्ग) चैनेज 0.000 से 2.450 तक (लम्बाई 2.450 कि0मी0)	359/2023/I/ 419 205/2023/ 23-11099(099)/100/ 2023, दि0-01.11.2023	5681.79 5681.79 511.99 5169.80	1996.17	3173.63	700.00	700.00
7	13631/CE-HQ1/DHARMARTH/VNS/2025-26 dt. 16.05.2025	प्रा0ख0 जौनपुर	निजमापुर अरन्द मार्ग के चैनेज 10.000 से 15.200 तक के चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	100/2025/ 707/23-6099/48/ 2025, दि0-10.03.2025-दिनांक-10-03-2025	983.79 983.79 0.46 983.33	233.51	749.82	492.00	455.14
8	13685/ CE-HQ1/DHARMARTH/GON/2025-26, dt. 17.05.2025	नि.ख.-1 बहराइच	जनपद बहराइच में पयागपुर षिवदहा मार्ग से पुरैना होतु हुए पृथ्वीनाथ मन्दिर तक मार्ग(अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से चैनेज 18.920 में चैडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	110/2025/ 774/001-23-4099(099)/ 226/2024 दिनांक-19-03-2025	3180.59 3180.59 200.00 2980.59	37.21	2943.38	1000.00	1000.00
कुल योग									**5616.50**

(रूपये छप्पन करोड सोलह लाख पचास हजार मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गतआदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों के समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के आनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यों के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 56,16,50,000 (रुपये छप्पन करोड़ सोलह लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 505404 3371200 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन ।

2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।

6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।

12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।

13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

14- लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ०प्र० शासन।

15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।

16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।